फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक गिर्वा, उदयपुर

वादी : रूपा

बनाम प्रतिवादी : मोतीलाल

किस्म मुकदमा : वाद

प्रकरण संख्या : 288 / 19

दिनांकः 06.08.2024

पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष उपस्थित। प्रकरण में वादी एवं प्रतिवादी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि वादग्रस्त प्रकरण में दोनों पक्षकारों के मध्य सहमति बनी है कि सहमति अनुसार मौके पर बंटवाड़ा का तहसीलदार के यहाँ पेश करे देगें। प्रकरण में स्थगन आदेश होने से बंटवाड़ा किया जाना संभव नहीं हो रहा है। अतः निवेदन है कि उक्त वाद को विड्रो फरमाये जाने का आदेश फरमाया जावे।

उभयपक्ष को सुना गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। न्यायायल का विनम्र अभिमत है कि उभयपक्ष का आपस में सहमति से बंटवाड़ा होने से उभयपक्ष द्वारा उक्त वाद को विड्रो हेतु निवेदन किया गया। उभयपक्ष द्वारा उक्त वाद को विड्रो किए जाने से उक्त में आगे अब कोई कार्यवाही शेष नही रहती है। अतः प्रकरण में कार्यवाही इसी स्तर पर समाप्त की जाकर उक्त वाद विड्रो किया जाता है।

उक्त वाद से संबधित प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थायी निषेधाज्ञा में पूर्व में जारी अस्थायी निषेधाज्ञा निरस्त की जाती है। निर्णय सरेईजलास सुनाया गया । प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

रमेश सीरवी पुनाड़िया, आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर, फा.ट्रै.
गिर्वा–उदयपुर